फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

रोशनलाल बनाम किशनलाल(वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 111-122 नं0 149 सन् 2022

क्र	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
…22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.10.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
28/10/22	उप[illegible] [illegible] अधिकारी राजकीय [illegible] कार्य [illegible] पर है / पक्षकार उपस्थित [illegible] अतः प[illegible] 29.11.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29/11/22	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] अधिकार रखने से पत्रावली दिनांक 27/12/22 को पेश हो।	
27/12/22	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी बार कई-कई बार आवाजें दिलायी जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से [illegible] कर शामिल [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:57:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

न अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या– 149/22 प्रा/प्पत्र

ी रोशन लाल s/o श्री सूरजमल महाजन निवासी- बाव्या की रपेडी तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

। छितर s/o श्री छीगा जाट निवासी - बाव्या की रपेडी तहसील-माण्डल (वगैरा) (संलग्नित प्रपत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 27.12.22

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम बाव्या की रपेडी पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल मे उसके युक्त खाते की आराजी नं. 2568 कुल किता 01 रकबा 1.5049 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये ना संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की । के आदेश प्रदान कराये जावें।

ार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.09.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते ोक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बाव्या की रपेडी पटवार गोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 2568 ता 01 रकबा 1.5049 हेक्टयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ने हेतु पुत्थगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख बागोर को 600-/– रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने रान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार पत्थगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:57:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

ः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल माण्डल भीलवाड़ा